संख्या- 8/958/बयालिस-2018-14(बजट)/2018

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 08 मई, 2018**

विषय- चौक स्टेडियम लखनऊ में बाउण्ड्रीवाल के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-79/नि0 चौक स्टे0 पत्रा0/2018-19, दिनांक 17.4.2018 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि चौक स्टेडियम लखनऊ में बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड) द्वारा गठित आगणन लागत रू0 243.13 लाख के सापेक्ष ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा आकंलित लागत धनराशि रू0 241.21 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में मद संख्या- 97-चौक स्टेडियम लखनऊ-9701-बाउण्ड्रीवाल का निर्माण में प्राविधानित धनराशि रू0 290.86 लाख के दृष्टिगत आंकलित लागत रू0 241.21 लाख के सापे 50 प्रतिशत धनराशि रू0 120.60 (रूपया एक करोड बीस लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 120.60 (रूपया एक करोड बीस लाख साठ हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड) को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2)- कार्य की विशिष्टियां मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(3)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(4)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन न हो अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5)- लेबर सेस/जी0एस0टी0 के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी ।

(6)- प्रायोजनान्तर्गत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत्र में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है ।

(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/ 2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 के प्रस्तर-7 में उल्लिखित परियोजनाओं में टाइम ओवर/रन कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दी गयी व्यवस्था/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8)- स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 में अंकित शर्तो एवं निर्देशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-97-चौक स्टेडियम लखनऊ-9701-बाउण्ड्रीवाल का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा ।

3- उक्त स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मो0 इफ्तेखारूद्दीन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 958(1)/बयालिस-2018-तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 इलाहाबाद ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
5- क्षेत्रीय क्रीडाधिकारी, क्षेत्रीय खेल कार्यालय, लखनऊ ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड) लखनऊ ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
10- नियोजन अनुभाग-4
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in